

कार्यालय : सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया
(मध्य प्रमंडल कार्यालय परिसर, गया)

झापांक - 407

गया, दिनांक - 08.09.18

प्रति,

प्रो० राजेश कुमार भारती
मेसर्स महारानी मेडिकल स्टोर,
गुरारु, गया

विषय- आपके प्रतिष्ठान में व्याप्त अनियमितताओं के आलोक में अनुज्ञापियों के निलंबन के संबंध में।

संदर्भ- औषधि निरीक्षक, टेकारी अनुमंडल, गया का पत्रांक 83, दिनांक 12.11.16 एवं इस कार्यालय का स्पष्टीकरण झापांक 63, दिनांक 10.02.2017, एवं स्मार झापांक 861, दिनांक 11.11.17 एवं अंतिम स्मार झापांक 266, दिनांक 23.06.18 आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयक, दिनांक 12.11.16 को औषधि निरीक्षक, टेकारी अनुमंडल, गया के द्वारा आपके प्रतिष्ठान के निरीक्षण के क्रम में चर्चा हुई अनियमितताओं के आलोक में इस कार्यालय के स्पष्टीकरण झापांक 63, दिनांक 10.02.2017 के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेखों की मांग की गई थी। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण एवं न ही वांछित अभिलेख जम्होहरास्तरी कार्यालय में समर्पित किया गया, जब इस कार्यालय के स्मार झापांक 861, दिनांक 11.11.17 से आपको स्मरित करते हुए स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेख समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया, इसके बावजूद आपके द्वारा वांछित अभिलेख एवं स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। फलतः इस कार्यालय के झापांक 266, दिनांक 23.06.18 से अंतिम रूप से स्मरित करते हुए स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेख समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया, किन्तु बार-बार अनुरोध किए जाने एवं अवसर दिए जाने के बावजूद आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और न ही वांछित अभिलेख। आपका उपरोक्त कृत्य न सिर्फ औषधि एवं प्रशासन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, वरिष्ठ औषधि नियमों के प्रति आपकी आस्था एवं निष्ठा को भी दर्शाता है।

अतएव, औषधि एवं प्रशासन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 66(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको प्रदत्त औषधि विषयक अनुज्ञापि संख्या GAYA-338/2007 प्रपत्र 20A एवं GR-338A/2007 प्रपत्र 21A निर्गत तिथि 11.12.2007 को पत्र प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण किया जाना अवैध है एवं निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान खुला पाये जाने अवकाश क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण करते पाए जाने पर संस्थान की अनुज्ञापियों को रद्द करते हुए नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।


08.09.18

सहायक औषधि नियंत्रक
औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया